



22.5.19

बादीका न लवमं हादिर आकर बारिक
 अधिकारक इह आरम का ज.पम वेग बिदा
 कि हमार गनीगका हे गमा बाद पम कं आर
 कारवाही नही आहती हुं। पमावली घेरी कं
 ली गई। बादीका का लवमिपुन ज.पम
 पम लकीका किना बार बाद-पम withdraw
 भी लकीकति कं काय वतमान लटेप पर ही
 रवारिज किना जाता हे। इस आरम भी पचा
 डिक्की जारी हे। पमावली के लला शुका
 होकर बारिकल नपुनर भी जाब।

आदिग सुनामा गमा।


 सहायक कलक्टर
 एवं प्रबंधाधिकारी
 लुमानगढ़



प. लु. फोर
 9. h. me
 R. Smit

गोमान

प्रार्थीय

सलिये

बारीज) व

बारीज कर

इनांक-22.0

Form no 111

(नियम 133)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
प्रमाणित प्रतिलिपि... 01.09.2018
प. त. ... 309/18 ... अनवानि...

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- चन्द्रकला वनाम सुशील कुमार आदि

धारा :- 212 आर.टी.ए. विविध राजस्व संख्या... 309/2018

हुकम या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ।

2018

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा पेश किया। प्रार्थीया अभिभाषक की प्रार्थना-पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक्र नम्बर-21 ए0जी0 के खाता संख्या-37/69 में तादादी 5972 हैक्टैयर की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी 28.09.2018 तक बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर बजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावेगा। बाद गुजरने मियाद कोई अज्र नहीं सुना जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.09.2018 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
712
राइटर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया
.....क.....

